

**OFFICE OF THE  
SUPERINTENDING ENGINEER  
PASCHIMANCHAL VIDHYUT VITRAN NIGAM LTD.  
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE BIJNOR**

**V.SHORT TERM TENDER SPECIFICATION NO: 46/2021-22/EDC BIJNOR**

NAME OF THE WORK :- Installation of Three Phase Electronic energy meter (10-60A) (along with pilfer proof meter box & meters seal), to be supplied by Department, on the Electricity connection of PTW consumers, along with installation of 4 core 16 Sq mm un-armoured service cable from pole to the energy meters of consumers in EDD-Ist, Chandpur.

**QUANTITY REQUIRED.....**

**COST OF TENDER DOCUMENTS .Rs 3540-00**

**EARNEST MONEY Rs.45000-00**

**DUE DATE OF UPLOAD OF TENDER.. 17-01-2022. 02:00 P.M.**

**DUE DATE OF OPENING OF TENDER.. 17-01-2022. 02:00 P.M.**

**COST OF TENDER DOCUMENTS Rs.....3540-00 ....DEPOSITED**

**DEPOSITE TENDER FEES ONLINE (UTR No.) .....**

**DATED. ....**

**TENDER DOCUMENTS ISDUE TO M/S.....**  
.....  
.....  
.....

**SUPERINTENDING ENGINEER**

## **TENDER BID PART-I**

TENDER SPECIFICATION NO  
AGAINST WHICH YOU HAVE  
TENDERED

(TO BE FILLED BY TENDERED)

1. Name and address of the Tendere:-

2. Details of the firm :-

(I) Whether partnership of proprietary firm.

II) In case of proprietor/ partner (s) related  
with UPSEB/UPPCL the fact should be  
Mentioned clearly giving full details.

3. Tender Fee deposited online UTR No.

4. Earnest money deposited online UTR No.

5. Income Tax clearance (details  
of Income Tax clearance & copy of  
Intest Income Tax clearance certificate)

6. Quantity offered

7. Details of registration with DGS&D/Director  
of Industries, U.P.:-

(I) Name of the material

(II) Validity or registration

8. Two reference who can certify the financial  
Capability of the tenderer to undertake the supply.

One of the reference should be a scheduled Bank  
India.

9. Details of Experience.

Name & Address of the ord-cring authority	Supply order No. & date	Particulars of supply order	Qty. of	Qty. supplied	Remarks.
--	----------------------------	-----------------------------------	------------	------------------	----------

**Cont.**

10. Validity of offer
11. Completion of Works
12. Price per unit for destination at  
BIJNOR(Both in words & figure).
13. Confirmation regarding the price to be firm.
14. If the prices are exclusive of the excise duty.  
Indicate clearly the rate and the amount of  
Excise Duty.
15. If the rates are exclusive of the Trade Tax the  
Amount of Trade tax may be quoted  
(Please note that if the trade tax is applicable)  
then Form “3 D” or “C” shall be issued by  
the Purchaser for the supply of material.
16. If the quoted prices are including the excise  
duty and/or Sales Tax the amount and rate  
of Excise duty and trade tax May be  
mentioned clearly.
17. Name & detailed address of the authorized  
representative to Represent to represent  
your firm against this tender.
18. If the tendering firms are not manufacturer  
themselves. Full name & Address of the  
manufacturer given.
19. CERTIFICATE: I/We hereby certify that I/We have gone through the tender  
Specification and the General conditions thoroughly and undertake to abide by  
Mutually agreed upon during the finalization of the tender.  
I We also state that the information mentioned above are correct to the best of my  
Knowledge and I/We understand that in case of any of the above information  
found to be wrong any stage, the tender shall be liable to be rejected cancelled  
and the Earnest money shall be forfeited.

PLACE:-

DATED:-

SIGNATURE OF THE TENDERER  
SEAL OF THE FIRM AND ADDRESS.

## TENDER SPECIFICATION NO.....EDC/BIJNOR/2021-22

SUPERINTENDING ENGINEER  
ELECTRICITY DISTRIBUTION  
CIRCLE BIJNOR .

.....

.....

.....

.....

In consideration of the PVVNL/ UPPCL having treated the tenderer the eligible person whose tender may be considered the tenderer (s) hereby agree to the condition that the proposal in response to the invitation of the tender shall not be withdrawn by the tenderer within 03 months from the date of opening of the tender and also that if the tenderer does not fullfill the condition, the earnest money deposited by the tenderer shall be forfeited bythe Superintending Engineer, EDC BIJNOR .

2022

Signature of tenderer  
fullname of tenderer

Firm name along with seal

अल्पकालीन ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या 46 / 2021-22 हेतु आवश्यक नियम / शर्त:-

- 1-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल बिजनौर के पक्ष में पैजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन, बिजनौर के खाता सं0 0056002100017464, IFSC Code PUNB0005600 में दिनांक 17.01.2022 को 02:00 बजे तक निविदा शुल्क रुपये 3540.00 एवं धरोहर राशि रुपये 45000.00 जमा होना चाहिये) ऑन लाईन/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा करने का प्रमाण पत्र/अभिलेख (यूटीआर नं0) निविदा के प्रथम भाग के साथ संलग्न किये जाये। निविदा का प्रथम भाग दिनांक 17.01.2022 को 02:00 बजे खोला जायेगा।
- 2-निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अलग-अलग जमा होनी चाहिए।
- 3-निविदा में संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रति स्पष्ट तथा फर्म की स्टाम्प सहित फर्म स्वामी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 4-निविदा के प्रथम भाग की सभी नियम/शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त ही निविदा का द्वितीय भाग खोला जायेगा।
- 5-निविदाकर्ता से अनुबन्ध के समय कार्यादेश धनराशि का 03 प्रतिशत परफारमेन्स बैंक गारन्टी ली जायेगी। जिसकी वैधता अनुबन्ध में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण अवधि अथवा 2 वर्ष (जो भी अधिक हो) तथा क्लेम पीरियड 3 माह होगा।
- 6-यदि निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कालम पूर्ण नहीं भरा गया तो निविदा प्रपत्र निरस्त किया जा सकता है।
- 7-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSM's) व स्टार्टअप्स को निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी:-
  - (i) परफारमेन्स सिक्योरिटी में छूट।
  - (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी में छूट।
  - (iii) बिड सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी डिपोजिट में छूट।
- 8-निविदा के प्रथम भाग में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने आवश्यक है, अन्यथा निविदा का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा :-
  - (क) निविदाकर्ता Valid Class "A" Contractor का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  - (ख) जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की वैध प्रति।
  - (ग) निविदादाता को 10रु के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र इस आशय का देना होगा कि उसकी फर्म को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम में काली सूची में नहीं डाला गया है तथा न ही भारत के अन्दर किसी अन्य संस्थान में उनकी फर्म काली सूची में रही है।
  - (ग) निविदाकर्ता के पास लाईन निर्माण/मीटर स्थापना का गत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मीटर स्थापना हेतु अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
  - (घ) निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण एवं जमा किये जाने का प्रमाण की प्रति।
  - (ङ) जीएसटी में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
  - (च) आधार कार्ड की प्रति (कम्पनी की स्थिति में निदेशकों के आधार कार्ड की प्रति)।
  - (छ) पैनकार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
  - (ज) आयकर विभाग में विगत 3 वर्षों में आयकर रिटर्न की प्रति।
  - (झ) निविदादाता का टर्नओवर निविदा की कुल अनुमाति लागत 1.5 गुना या उससे अधिक होना चाहिए।
  - (ञ) नोटरी से वैध सत्यापित शपथ पत्र (निविदा प्रपत्र में संलग्न प्रारूप में)

अधीक्षण अभियन्ता

## अन्य नियम व शर्तें

1. कार्यदायी संस्था को अनमीटर्ड से मीटर्ड किये जाने हेतु निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सूची सम्बन्धित वितरण खण्ड से प्राप्त कर परीक्षण खण्ड द्वारा प्राप्त कराई जायेगी तथा सम्बन्धित जे0ई0/टी0जी0-2/जे0एम0टी0 को टीम के अनुश्रवण हेतु नामित किया जायेगा।
2. कार्यदायी संस्था को प्रति टीम प्रतिदिन एक बार में अधिकतम 5 नये मीटर तथा आवश्यक मीटर सीलिंग बुक लिखित में प्राप्त कराई जायें तथा इसका रजिस्टर बनाकर मीटर के मेक एवं क्रम संख्यावार रिकार्ड परीक्षणशाला में आवश्यक संकलित किया जायें।
3. कार्यदायी संस्था प्रत्येक टीम को प्रतिदिन का उपभोग विवरण सहायक अभियन्ता(मीटर) को देना होगा। सहायक अभियन्ता(मीटर) फर्म द्वारा दिये गये मीटरों के उपभोग से सम्बन्धित अभिलेख देने के पश्चात् ही उपरोक्त बिन्दु-2 के अनुसार अग्रिम मीटर दिये जायें।
4. कार्यदायी संस्था के कर्मचारी को केवल प्राप्त कराई गई सूची में अंकित उपभोक्ताओं के परिसर पर ही कार्यवाही की जायेगी। परिसर पर पहुँचने पर समस्त कार्यवाही सम्बन्धित उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष की जायें ताकि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।
5. कार्यदायी संस्था को प्रत्येक दशा में नया मीटर उपभोक्ता के निजी नलकूप की कोठरी के बाहर अथवा निकटतम पोल पर उचित साईज के 2 नग **MS Strip of minimum 2mm thickness with nut bolt के Clamp** का प्रविधान कराते हुए जमीन से 5 फुट की ऊँचाई पर स्थापित करना होगा। स्थापित किये जाने के पश्चात् मीटर बॉक्स पर परमानेन्ट मार्कर से उपभोक्ता का नाम एवं कनेक्शन संख्या/एकाउन्ट आई0डी0 लिखनी होगी। साथ ही उसका फोटा इस तरह से लेना होगा कि उसमें नये मीटर का मीटर नं0, लैब नं0 तथा उपभोक्ता का कनेक्शन संख्या इत्यादि प्रदर्शित हों।
6. फोटो लिये जाने के पश्चात् बदलने वाले व्यक्ति को सीलिंग रिपोर्ट में नये मीटर के समस्त विवरण तथा मीटर नं0, लैब नं0, मीटर में अंकित रीडिंग, स्थलीय स्थिति, नई सीलों का विवरण अथवा अन्य को उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में भरा जायेगा।
7. नये मीटर लगाने से पूर्ण यह सुनिश्चित करना होगा कि पोल से मीटर के इनपुट तक केबिल में कोई भी कट न हो यदि इनकमिंग केबिल पर कट इत्यादि है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता/टी0जी0-2 को अवगत कराते हुए नई केबिल अथवा अवर अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
8. नये मीटर को पोल अथवा कोठरी पर स्थापित करने पश्चात् इनकमिंग केबिल एवं आउटगोइंग केबिल को **Aluminum/MS** की फ्लेसेबल स्ट्रीप/क्लिप लगाकर करना होगा ताकि इनकमिंग/आउटगोइंग केबिल के भार के कारण टर्मिनल प्लेट पर अनावश्यक भार न आयें।
9. नये मीटर को पोल अथवा कोठरी पर स्थापित करने के पश्चात् मीटर पर लगाई गई सीलों, रीडिंग, उपकेन्द्र/फीडर/वितरण परिवर्तक का नाम/स्थान इत्यादि का विवरण मीटर सीलिंग पर नये मीटर के कॉलम में भरते हुए पूर्ण करेंगे तथा उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लेकर सीलिंग प्रमाण पत्र की उपभोक्ता प्रति को वही पर प्राप्त करायेगें।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा मीटर लगाने के पश्चात् सम्बन्धित सीलिंग बुक को प्रत्येक दशा में 23 तारीख तक अथवा पहले सम्बन्धित परीक्षणशाला में सहायक अभियन्ता(मीटर) को जमा कराने होंगें।
11. सहायक अभियन्ता(मीटर)/अवर अभियन्ता(मीटर) का यह दायित्व होगा कि नये मीटर की सीलिंग को सम्बन्धित उपभोक्ता के खाता संख्या पर 3 दिवस में एडवाईज कर बिलिंग सप्लाय टाईप को अनमीटर्ड श्रेणी से मीटर्ड श्रेणी में करते हुए एडवाईज करना होगा तथा एडवाईज करने के पश्चात् सीलिंग प्रमाण पत्रों का बाइन्डर अधिशासी अभियन्ता(वितरण) को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराना होगा।
12. कार्यदायी संस्था की टीम को दिये गये समस्त मीटरों के उपभोग से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सहायक अभियन्ता(मीटर) द्वारा परीक्षणशाला में पूर्ण विवरण यथा मीटर सीलिंग, मीटर लगाने की तिथि तथा बिलिंग सिस्टम पर एडवाईज करने की तिथि एवं एडवाईज होने के पश्चात् प्रथम एम0यू0 बिल जारी होने इत्यादि से सम्बन्धित समस्त विवरण रजिस्टर में संकलित किये जायें।
13. सहायक अभियन्ता(मीटर) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अगले माह के प्रथम सप्ताह में गत माह में एडवाईज किये गये मीटरों की सूची बिलिंग एजेन्सी को पत्र के माध्यम से हस्तगत की जायेगी ताकि अगले ही माह प्रथम एम0यू0 बेस्ड बिल जारी हो सकें। प्रथम एम0यू0 बिल का उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता(मीटर) का होगा।
14. कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित कार्य को पूर्ण करने के पश्चात् सहायक अभियन्ता(मीटर) कार्यदायी संस्था को दिये गये समस्त नये मीटरों एवं उसके सापेक्ष सीलिंग प्रमाण पत्रों के लेखे जोखे का मिलान करेंगें तथा सुस्पष्ट रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) को प्रेषित करेंगें।
15. उक्त कार्य हेतु मीटर सम्बन्धित विद्युत भण्डार खण्ड से प्राप्त कराते हुए एवं यथा सभंव जहां नितान्त आवश्यक हो, 4 कोर का केबिल (औसतन 7 से 8 मीटर) भी भण्डार से प्राप्त करायेंगे जिसका पूर्ण लेखा-जोखा खण्ड स्तर पर रखा जायेगा। विभागीय मीटर को उपभोक्ता के परिसर/कोठरी/पोल पर स्थापित करने एवं सीलिंग भरने तथा बिलिंग सिस्टम पर एडवाईज कराना एवं मीटर व केबिल का पूर्ण विवरण लेने का कार्य भी सम्पादित किया जायेगा।